भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3115

19.03.2026 को उत्तर के लिए

हाथियों की मौतें

3115. श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनाओं के कारण हाथियों की मौतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार रेलवे पटरियों के पास हाथियों की मौतों को रोकने के लिए भूकंपीय संवेदन और थर्मल इमेजिंग का उपयोग करते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व में सफलतापूर्वक संचालित एक "इंटेलिजेंट एलीफेंट मूवमेंट डिटेक्शन एंड अलर्ट सिस्टम" बनाने और लगाने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी प्रणाली के विकास और क्रियान्वयन के लिए समय-सीमा और बजट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन वन्यजीवों की मृत्यु के मामलों में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला निकाय है और ऐसी घटनाओं और उनमें शामिल प्रजातियों से संबंधित आंकड़े रखता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में रेल दुर्घटनाओं के कारण हाथियों की मृत्यु की संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

रेल मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डिस्ट्रीब्यूटेड एकॉस्टिक सेंसिंग (डीएएस) का उपयोग करके रेल पटरियों पर हाथियों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लैस घुसपैठ डिटेक्शन प्रणाली (इंट्रूज़न डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस) लगाया गया है। यह प्रणाली वर्तमान में 141 रूट किलोमीटर (आरकिमी) खंड में लगाई गई है और भारतीय रेलवे के 981 रूट किलोमीटर खंड के लिए आगे निविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं। यह प्रणाली लोको पायलटों, स्टेशन मास्टरों और नियंत्रण कक्ष को रेल पटरियों के आसपास हाथियों की आवाजाही के बारे में अलर्ट उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि समय पर निवारक कार्रवाई की जा सके।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत, ट्रैकिंग और संघर्ष को कम करने के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग का समर्थन कर रही है। हाथियों के आवागमन के पैटर्न की निगरानी करने और समय पर निवारक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए, मानव-हाथी संघर्ष से प्रभावित चुनिंदा क्षेत्रों में जीपीएस और जंगली हाथियों की रेडियो कॉलरिंग, एआई-सक्षम कैमरा ट्रैप, थर्मल कैमरे, प्रारंभिक चेतावनी सेंसर सिस्टम, ड्रोन आधारित निगरानी और मोबाइल आधारित अलर्ट एप्लिकेशन जैसी तकनीकों को लागू किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, भारत में संवेदनशील रेलवे मार्गों पर हाथियों और अन्य वन्यजीवों की रेल दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुझाए गए उपायों शीर्षक पर 3,452.4 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले 127 चिन्हित रेलवे मार्गों के क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के बाद एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की गई है। वन्यजीवों की आवाजाही की तीव्रता के आधार पर, 14 राज्यों में फैले 1,965.2 किलोमीटर के 77 रेलवे मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर चुना गया है, जहां इन दुर्घटनाओं को कम करने के साथ-साथ स्थान-विशिष्ट हस्तक्षेप भी किए जाएंगे। चिन्हित मार्गों और उनसे संबंधित शमन उपायों का विवरण देने वाली यह रिपोर्ट राज्य सरकारों और रेल मंत्रालय के साथ भी साझा की गई है।

इसके अलावा, देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य हितधारकों के परामर्श से 'रैखिक अवसंरचना के प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल उपाय' नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया है, ताकि परियोजना एजेंसियों को रेलवे लाइनों सहित रैखिक अवसंरचना को इस तरह से डिजाइन करने में सहायता मिल सके जिससे मानव-पशु संघर्ष कम हो।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से दिनांक 10-11 मार्च, 2026 को देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) में "रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मृत्यु दर को कम करने के लिए नीति कार्यान्वयन" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

अनुलग्नक

रेल दुर्घटनाओं के कारण हाथियों की मृत्यु की संख्या

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
असम	5	8	7	2	3
पश्चिम बंगाल	0	0	1	4	0
तमिलनाडु	1	3	0	0	0
झारखंड	1	0	1	1	2
केरल	0	0	2	0	2
ओडिशा	4	3	3	5	3
त्रिपुरा	0	0	0	1	1
उत्तराखंड	2	6	1	4	0
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	1
कर्नाटक	1	1	0	0	0
कुल	**14**	**21**	**15**	**17**	**12**

****